

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ़, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी श्रीमती नेहा छीपा (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 43/2024

उन्वान

1. गणेश पुत्र देवी उर्फ देवी लाल बैरवा नि० खैराबाद तह० हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा(राज.)
2. रामा पुत्र देवी उर्फ देवीलाल बैरवा नि० खैराबाद तह० हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा(राज.)

—प्रार्थीगण

बनाम

1. रतन कंवर पत्नी भगवत सिंह राठौड़ नि० खैराबाद तह० हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा(राज.)
2. रामकन्या पत्नी किशन सुथार नि० पालडी तह० व जिला भीलवाड़ा।
3. किशन लाल पुत्र भागीरथ सुथार नि० पालडी तह० व जिला भीलवाड़ा।
4. कालू पुत्र भैरू लाल जरिये संरक्षक माता रतनी देवी पत्नी भैरू लाल बैरवा नि० कानपुरा(दोलपुरा) दुडिया तह हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा।
5. काली पुत्री रूपा बैरवा नि० नि० खैराबाद तह० हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा(राज.)
6. जमनी पत्नी केला बैरवा नि० खैराबाद तह० हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा(राज.)
7. रामलाल पुत्र गिरधारी नि० खैराबाद तह० हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा(राज.)
8. रामलाल पुत्र देबी लाल बैरवा नि० खैराबाद तह० हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा(राज.)
9. मांगी लाल पुत्र नन्दा बैरवा नि० खैराबाद तह० हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा(राज.)
10. नानालाल पुत्र नन्दा बैरवा नि० खैराबाद तह० हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा(राज.)
11. नन्दू पत्नी हजारी बैरवा नि० खैराबाद तह० हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा(राज.)
12. सरजू पत्नी हजारी बैरवा नि० खैराबाद तह० हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा(राज.)
13. रूपा पुत्र केला बैरवा नि० खैराबाद तह० हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा(राज.)
14. डाली पुत्री देवी लाल बैरवा नि० खैराबाद तह० हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा(राज.)
15. चुन्नी पुत्र देवी लाल बैरवा नि० खैराबाद तह० हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा(राज.)
16. नन्द लाल पुत्र देवी बैरवा नि० खैराबाद तह० हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा(राज.)
17. मोहन पुत्र देवी लाल बैरवा नि० खैराबाद तह० हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा(राज.)
18. रतनी पुत्री गिरधारी नि० खैराबाद तह० हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा(राज.)
19. भैरू पुत्र देवा बैरवा हरणीकलां तह० व जिला भीलवाड़ा
20. मदन पुत्र देवी लाल बैरवा नि० 155 बाबारामदेव मन्दिर के पास कावा का खेडा भीलवाड़ा तह. जिला भीलवाड़ा(राज.)
21. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956
निर्णय दिनांक 09.05.2024

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 26.03.2024 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम खैराबाद प.ह. खैराबाद भू.अ.नि. खैराबाद तह० हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा के खाता संख्या 595 की आ.न. 1095 रकबा 0.2276 है०, आ.न. 1101 रकबा 0.0759 है०, कुल कित्ता 02 कुल रकबा 0.3035 है० भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 27.03.2023 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी संख्या 01 लगायत 04 व 07 लगायत 10 व 18 लगायत 20 वावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नहीं है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। विपक्षी संख्या 5,6,11,12,13,14,15,16,17, अदम तामील प्राप्त। इस पर अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा नियम सुनवाई पर उपस्थित होकर विपक्षी संख्या 5,6,11,12,13,14,15,16,17, के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहने का कथन रखते हुए ओडशिक अंकित किया गया। प्रार्थी का निवेदन स्वीकार कर प्रा.पत्र में विपक्षी कम 5,6,11,12,13,14,15,16 का नाम डिलीट/विलोपित करने की आज्ञा पारित की जाती है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वयं के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी

प्रकार के हेराफेरी होने का अधिकारी (राज.)



का कोई अंदेशा नहीं है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य हैं

--:आदेश:-

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम खैराबाद प.ह. खैराबाद भू.अ.नि. खैराबाद तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा के खाता संख्या 595 की आ.न. 1095 रकबा 0.2276 है0, आ.न. 1101 रकबा 0.0759 है0, कुल किता 02 कुल रकबा 0.3035 है0 भूमि स्थित है। जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानों में निर्धारित प्रकिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 300/- पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/- रु0 की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 09.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे।

(नेहा श्रीवा)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड
हमीरगढ (राज.)